[redacted]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहाँपुर,तहसील :पुवायाँ
वाद संख्या :-04201/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812610204201
डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम- कुंवरपुर
परगना बड़ागांव तहसील पुवायाँ

डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद संजय कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 कसगरा आढ़त कस्बा व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर ने धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बड़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जाँच आख्या मंगाई गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनाँक-13.08.2018 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बड़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 पर डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी की बिल्डिंग निर्माणाधीन है तथा आठ फिट ऊँची पक्की दीवार से घिरा है। जिस पर कृषि कार्य नही हो रहा है, जिसे राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैंने पत्रावली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक-13.08.2018 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बड़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 पर डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी की बिल्डिंग निर्माणाधीन है तथा आठ फिट ऊँची पक्की दीवार से घिरा है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है, इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक-13.08.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है:-

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम कुंवरपुर परगना बड़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सब रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक- 20/8/18

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर
20/8/2018

21.8-18

पृष्ठ संख्या :

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0–टी0201812610200551 — अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम कुंवरपुर परगना बढ़ागांव तहसील पुवायाँ

डा0 आर0एम0एल0 इन्टीय्यूट ऑफ फार्मेसी
द्वारा अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी डा0आर0एम0एल0 इन्स्टीयूट आफ फार्मेसी ग्राम कुंवरपुर, परगना व तहसील पुवायाँ,शाहजहांपुर द्वारा डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी मोहल्ला कसमरा आढ़त, कस्बा व तहसील पुवायाँ, शाहजहांपुर द्वारा अध्यक्ष श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 कसमरा आढ़त कस्बा व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर के अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद योजित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम कुंवरपुर परगना बढ़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 है0 में से 0.621 है0 डा0आर0एम0एल0 इन्स्टीयूट आफ फार्मेसी ग्राम कुंवरपुर, परगना व तहसील पुवायाँ,शाहजहांपुर द्वारा डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी मोहल्ला कसमरा आढ़त, कस्बा व तहसील पुवायाँ, शाहजहांपुर द्वारा अध्यक्ष श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 कसमरा आढ़त कस्बा व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर के नाम दर्ज है जिस पर कृषि कार्य न होने के कारण उसे अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर नायब तहसीलदार पुवायाँ से जॉच आख्या मंगाई गयी।

नायब तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक–09.01.2018 में उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बढ़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 है0 में से 0.621 है0 लगान 15.00 डा0आर0एम0एल0 इन्स्टीयूट आफ फार्मेसी ग्राम कुंवरपुर, परगना व तहसील पुवायाँ,शाहजहांपुर द्वारा डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी मोहल्ला कसमरा आढ़त, कस्बा व तहसील पुवायाँ, शाहजहांपुर द्वारा अध्यक्ष श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 कसमरा आढ़त कस्बा व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर के नाम श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, वर्तमान समय में कृषि कार्य, मतस्य पालन, बागवानी का कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है। अतः उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 नियम 6(2) के अन्तर्गत गाटा सं0 167मि0 रकबा 0.621 है0 लगान 15–00 रूपये को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने आख्या प्रेषित की गयी थी, जिस पर दिनॉक–13.01.2018 को इस आशय की टिप्पणी अंकित की गयी कि पृष्ठांकन आदेश दिनॉक–21.12.2017 के अनुपालन में अपनी स्थलीय निरीक्षण आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करें, के अनुपालन में नायब तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी पुनः आख्या दिनॉक–13.01.2018 में उल्लेख किया कि ग्राम कुंवरपुर की गाटा सं0 167/1.307 है0 में से 0.621 है0 की मेरे द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल श्री सुनील कुमार के साथ मौके पर जाकर जॉच की गयी तो मौके पर निर्माण कार्य प्रगति पर है प्रश्नगत भू खण्ड पर कोई कृषि कार्य मतस्य पालन, कुक्कुड आदि नही हो रहा है। आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। पुनः दिनांक 24.01.2018 को इस आशय की टिप्पणी अंकित की गई कि क्या प्रश्नगत स्थल राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जा सकता है? कृपया स्पष्ट संस्तुति करें, जिसके अनुपालन में नायब तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी आख्या दिनांक 25.01.2018 में उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर की गाटा संख्या 167/1.307 है0 में से 0.621 है0 भूमि पर इंस्टीट्यूट निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर है। अतः उक्त भूखण्ड ग्राम कुंवरपुर की गाटा संख्या 167/ 1.307 है0 में से 0.621 है0 भूमि को अकृषक घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है। (वादी ने अपने अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम कुंवरपुर की वर्ष खतौनी 1422–1427 फसली व खसरा 1424–1425 फसली व अपना स्वयं का शपथ पत्र तथा सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0लखनऊ के पत्र सं0 प्राशिप/परिषद/2017/3537–50 दिनॉक–22.06.2017 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भटपुरा चन्दू व उपखण्ड अधिकारी वि0वि0 उपखण्ड तृतीय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा इमारत का नक्शा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल की गयी है। वादी द्वारा

गाटा सं0 167/1.307 हे0 में से 0.621 हे0 का जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी वार्षिक मूल्यांकन सूची में अनुसार मूल्यांकन सर्किल रेट का 1 प्रतिशत अंकन 22,356—00 रुपये चालान सं0 14 दिनाँक—23.01.2018 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुवायाँ में जमा किया जा चुका है तथा नायब तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी आख्या दिनाँक—13.01.2018 के साथ वादग्रस्त भू खण्ड के फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं) इस प्रकार वादी द्वारा अपना साक्ष्य पूर्ण कराया गया है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों एवं नायब तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक—13.01.2018 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बढ़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 में से 0.621 हे0 लगान 15.00 रुपये पर कृषि कार्य नही हो रहा है। वादग्रस्त भूमि पर डा0आर0एम0एस0 इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी ग्राम कुंवरपुर, शिक्षण संस्थान प्रस्तावित है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 नियम 8 (2) में दिये गये प्राविधानों के आधार पर वादग्रस्त भूमि को कृषक से अकृषक एवं लगान मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं नायब तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक—13.01.2018 व 25.01.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है कि:—

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम कुंवरपुर परगना बढ़ागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 में से 0.621 हे0 लगान 15.00 रुपये पर को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सब रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक—29.1.2018

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर

जारी करने वाले के हस्ताक्षर
पत्रांक दिनांक 29-1-18
प्रार्थी श्री अमित दयाल
तैयारी का दि0 29-1-18
रिकार्ड सं0/रु0 13—तेरह रुपया
जारी का दि0 29-1-18

असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
29-1-18